Regd. No. NW/CH-22

Regd. No. CHD/0092/2015-2017

*Price : Rs 2.70*

# Punjab Government Gazette

## EXTRAORDINARY

***Published by Authority***

CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017 (ASVINA 14, 1939 SAKA)

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.II/2017 Dated: 3rd October, 2017

**NOTIFICATION**

Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State of Punjab and Kerala respectively, has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/73/2017, dated 12th September, 2017.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M.** and **6.30 P.M.** on **11-10-2017(Wednesday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/73/2017, dated 12th September, 2017 from **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency in Punjab and 41-Vengara Assembly Constituency in Kerala** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

(N.T.BHUTIA)
SECRETARY

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

संख्या 576/एक्ज़िट/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-II/2017 तारीख- 3 अक्तूबर, 2017

## अधिसूचना

यतः पंजाब एवं केरल के संसदीय एंव राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 12-09-2017 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/73/2017 के द्वारा की जा चुकी है ,

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा,

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 11-10-**2017 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 12 सितम्बर 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/73/2017 के द्वारा घोषित पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहितए प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)
सचिव

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001.**

Dated : 3rd October, 2017.

## DIRECTION

No.576/3/EVM/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL-II/2017:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency in Punjab and 41-Vengara Assembly Constituency in Kerala** in which bye-elections are currently in progress, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary and Assembly Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printer for Paper Trail and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the said Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951,, and rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency in Punjab**

**and 41-Vengara Assembly Constituency in Kerala** as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the House of the People in Punjab and State Legislative Assembly of Kerala from the said constituencies, notified on 15.09.2017, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said voting machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Parliamentary and Assembly Constituency.

By Order,

(N.T. BHUTIA)
SECRETARY

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख- 3 अक्तूबर, 2017

## निदेश

सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर//खण्ड-।।/2017:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः आयोग ने पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 15.09.2017 को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित पंजाब के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एंव केरल के राज्य विधान सभा के

चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए है, इलेक्टॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगें।

5. आयोग एतदद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(एन.टी. भूटिया)
सचिव

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

No. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.II/2017/ Dated: 4th October, 2017

## ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in the States of Punjab and Kerala ; and

7. Whereas, in addition the Commission has directed that **'Authenticated Photo Voters Slip'** shall be distributed to the electors before the date of poll for the current bye Elections;

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current bye elections from **1-Gurdaspur Parliamentary Constituency in Punjab and 41-Vengara Assembly Constituency in Kerala,** which have been notified on **15-09-2017** all electors who have been

issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

(i) Passport;
(ii) Driving License;
(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
(iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
(v) PAN Card;
(vi) Smart Card issued by RGI under NPR;
(vii) MNREGA Job Card;
(viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
(ix) Pension document with photograph,
(x) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery; and
(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs
(xii) Aadhaar Card.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport **only** (and no other identity document) in the polling station.

Yours faithfully,

( N.T.BHUTIA )
SECRETARY

# भारत निर्वाचन आयोग

**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली**

संख्या 3/4/आई0डी0/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-II/2017 दिनांकः 4 अक्तूबर, 2017

## आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचको का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधो को बनाया जा सकता है ; तथा

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके । निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो–पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंधित है कि जहॉ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र दिये जाते है, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढ़ंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता हैं, तथा दोनो को एक साथ प्रयोग करना होता है, तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र(ई0पी0आई0सी0) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है ; तथा

6. यतः, पंजाब एवं केरल राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप–निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को 'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची' बांटी जाएंगी :

8. अतः, अब, सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि **15.09.2017** को अधिसूचित किए गए **पंजाब में 1–गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41–वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के वर्तमान उप–निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचन जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत

नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पासपोर्ट,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान–पत्र,
(iv) बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
(v) पैन कार्ड,
(vi) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची ।
(x) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।
(xi) आधार कार्ड ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हैं, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जांएगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहॉ वह मतदान करने आया हैं उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए । यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके **केवल** मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

(एन0टी0भूटिया)
सचिव

*1347/10-2017/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar*